न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – योगेश जोशी, आर.जे.एस.

(सत्र न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आ०ज०प्रा०पत्र संख्या – 224/2023

CNR RJJH0G0008432023

रामचन्द नैन पुत्र श्री दीवान सिंह नैन निवासी पिलानी जिला झुंझुनूं (राज.)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक ...विपक्षी

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–438 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 205/2023 पुलिस थाना पिलानी

अपराध अंतगर्त धारा 453, 447 भारतीय दण्ड संहिता।

उपस्थितिः–

01. श्री भवानीशंकर शर्मा–विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

02. श्री वीरप्रकाश झाझड़िया–विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।

आदेश दिनांक 08.08.2023

01. प्रार्थी/अभियुक्त रामचन्द्र नैन ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता जरिए अभिभाषक प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं प्रकरण की केस डायरी तलब की गई।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी प्रवीण जांगिड़ द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तिय संस्था है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपने यहां बंधक रखी गई सम्पति आबादी भूमि वार्ड नम्बर 14 ग्राम भरिना पिलानी जिला झुंझुनूं का सरफेसी एक्ट के तहत विधिनुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के आवेदन दिनांक 28.11.2022 की पालना में आप श्रीमान के यहां से नियमानुसार पुलिस सहायता प्राप्त कर विधिपूर्ण तरीके से दिनांक 19.05.2023 को मौके पर उक्त सम्पति का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया तब से लेकर प्रार्थी कम्पनी का उक्त सम्पति पर विधिवत कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा था। आज दिनांक 23.05.2023 को प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपति को संभालने गये तो वहां पहुंच कर मालूम हुआ कि उक्त सम्पति के अन्दर लाईट जल रही थी। जिससे प्रार्थी कम्पनी को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी कम्पनी की कब्जेशुदा उक्त सम्पति पर पूर्व बाकीदारान रामचन्द नैन पुत्र श्री दीवान सिंह नैन, अभिराम नैन पुत्र श्री रामचन्द नैन, श्रीमती शीला नैन

पत्नी रामचन्द नैन, धर्मेन्द्र पुत्र धूपसिंह व अन्य एकराय होकर उक्त सम्पति के सील व ताले तोड़कर उक्त सम्पति पर गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर लिया है तथा कंपनी की कब्जेशुदा उक्त संपति को खुर्दबुर्द करने पर आमादा हैं, इस प्रकार इन लोगों द्वारा प्रार्थी कम्पनी की विधिपूर्ण तरीके से ली गई उक्त कब्जेशुदा संपति जिसका कब्जा प्रार्थी कंपनी द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत विधिनुसार लिया गया है पर गैर कानूनी एवं अवैध तरीके से प्रवेश कर कब्जा कर लिया है, जिससे प्रार्थी कम्पनी की उक्त संपति को उक्त लोगों से खाली करवाकर प्रार्थी कम्पनी को कब्जा दिलवाया जाकर इन लोगों के खिलाफ विधिवत कानूनी कार्यवाही की जाना आवश्यक है इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना पिलानी पर प्रकरण संख्या–205/2023 अपराध अंतर्गत धारा 453, 447 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। जिसमें गिरफतारी के भय से बचने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	प्र.सू.रि.स./ प्रकरण सं.	अपराध अंतर्गत धारा	तारीख प्र.सू.रि.	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	गिरफ्तारी की दिनांक	छुटने की दिनांक
01	17/12 बरवाला	379,447,506/34 IPC	09.01.12	बरी	संबंधित थाने में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	संबंधित थाने में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

04. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों की ही पुनरावृति करते हुए यह कथन किये हैं कि प्रार्थी निर्दोष है उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है और ना ही प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज सम्पति के सील व ताले तोड़कर उक्त सम्पति पर गैर कानूनी तरीके व अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया है तथा ना ही खुर्दबुर्द करना चाहा। आवेदक वृद्ध बीमार व्यक्ति है तथा चलने फिरने में असमर्थ है। परिवादी ने आवेदक के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रकरण में प्रार्थी को नाजायज रूप से फंसाया गया है। प्रार्थी को अंदेशा है कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। जांच अधिकारी द्वारा बार बार उसे फोन कर बुलाया जा रहा है व परिवादी के दबाव में आकर गिरफतार करने पर तुला हुआ है। प्रार्थी इज्जतदार वृद्ध व्यक्ति है जिसके इस झूठे प्रकरण में गिरफतार होने से उसकी छवि धूमिल हो जायेगी। प्रार्थी अनुसंधान में हरसंभव सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रार्थी पिलानी का नागरिक है जिसके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा गवाहान पैरवी पक्ष के हैं जिन्हें टैम्परविथ करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

05. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रकरण में

मुलजिम के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराधों का आरोप हैं। प्रकरण में अनुसंधान शेष है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

06. उपर्युक्त तर्को पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

07. समस्त तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन करने के उपरांत इस प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन एवं आपराधिक अतिचार करने बाबत धारा 453, 447 भारतीय दण्ड संहिता के तहत गम्भीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अभियोजन की ओर से केस डायरी के साथ प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि प्रकरण हाजा में नामजद आरोपी को नोटिस धारा 41(ए)(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता का दिनांक 27.07.2023 को दिया जाकर रूकसत किया गया व नामजद आरोपी को दिनांक 01.08.2023 को नोटिस की पालना में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था परन्तु नामजद आरोपी रामचन्द नैन उपस्थित नहीं हुआ। उसकी सकुनत व कस्बा पिलानी में तलाश की परन्तु नहीं मिला। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। इस प्रकार प्रकरण में अनुसंधान शेष है एवं अनुसंधान के प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान किए जाने से अनुसंधानाधिकारी को वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व उसके आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

08. अतः प्रार्थी/अभियुक्त रामचन्द नैन पुत्र श्री दीवान सिंह नैन निवासी पिलानी जिला झुंझुनूं (राज.) की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रकिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(योगेश जोशी)
अपर सेशन न्यायाधीश
चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)

09. आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(योगेश जोशी)
अपर सेशन न्यायाधीश
चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)